न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /~~2018/~~निगरानी–2585/2018/भिण्ड/भू.रा

आवेदक -- रामौतार बघेल पुत्र श्री मुल बघेल,
निवासी सिलोली, तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण -- 1– मध्यप्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर,
जिला – भिण्ड (म0प्र0)

2– विश्वनाथ पुत्र श्री आशाराम जाटव,
निवासी सिलोली, तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध दिनांक 15.12.2017 न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 10/निगरानी/2017–18

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, आवेदक रामौतार पुत्र श्री मुले, निवासी – सिलोली, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड का निवासी होकर ग्राम सिलोली, तहसील मेहगांव के भूमि सर्वे क्रमांक 110/10 एवं 101/08 जो बन्दोबस्त के पूर्व के आराजी नम्बर थे। जिसको आवेदक द्वारा मेहनत, धन खर्च कर भूमि का समतल कर कृषि योग्य बनाकर कास्त करते हुए अपने परिवार का भरण–पोषण करता आ रहा है। उक्त भूमि का आवेदक लगान भी देता रहा है। उक्त विवादित भूमि सरकारी अभिलेख में चरनोई से काबिल कास्त के रूप में इन्द्राज होता रहा है। वर्तमान में वर्ष 1998 में हुए बन्दोबस्त के दौरान आवेदक का नाम अतिक्रामक के रूप में दर्ज है।

2– यहकि, आवेदक को उक्त विवादित भूमि की सर्वप्रथम काबिज होने से शासन के नियमों के अनुसार बंटन / व्यवस्थापन की पात्रता है। बन्दोबस्त के उपरांत उक्त विवादित सर्वे नम्बर 100/10 एवं 101/08 का नवीन नम्बर 203, 204 एवं 213 निर्मित किया गया है। उक्त विवादित नम्बरान का आवेदक को कोई सूचना पत्र एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 02585/18/भिण्ड/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री बी. एस. धाकड उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15/12/17 के विरूद्ध म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। 2-आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुनो निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण बंटन से संबंधित है जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया है। नये संशोधन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.09.2001 अपीली योग्य आदेश है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण अपीलीय आदेश होने के कारण सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जावे। 3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज एवं निगरानी आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	